भा.कृ.अ.प.–भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी
ICAR- Indian Grassland and Fodder Research Institute, Jhansi

फा.सं. GA/09/46th IMC/2020 दिनांकः 06.04.2021

परिपत्र/Circular

इस संस्थान के समस्त विभागाध्यक्षों/परियोजना समन्वयक (चारा फासलें इकाई) /वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों एवं इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों तथा इन विभागों/अनुभागों/इकाईयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों को सूचित करना है कि संस्थान के स्टॉफ/पेंशनर्स एवं उनके पारिवारिक आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से संस्थान प्रबंध समिति की 46वीं बैठक दिनांक 25.08.2020 में रखे गये एजेण्ड़ा आईटम के अनुसार तैयार किये गये कार्यवृत्त को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा सम संख्यक पत्र फा.सं. दिनांकितः 23.02.2021 के द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को परिषद द्वारा पत्र संख्या सीएस/16/5/2019–IA.IV(e.no.54730) दिनांकितः 15.01.2021 के माध्यम से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। तद्नुसार इस संबंध में **निर्मल नर्सिंग होम, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, गेट नं. 2, कानपुर रोड़ झॉसी–284128** को संस्थान के स्टॉफ एवं पेंशनरों तथा उनके पारिवारिक आश्रितों को सी.जी.एच.एस./सी. एस(एम.ए.) की अनुमोदित दरों पर मेडिकल अटेंडेंस एवं उपचार के लिए (वाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों) की सुविधाएं प्रदान कराये जाने निर्मल नर्सिंग होम से कमशः दिनांकं 10.03.2021 को इस संबंध में किये गये एम.ओ.यू. के अनुसार अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः संस्थान के सभी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी एवं इनके पारिवारिक आश्रित निर्मल नर्सिंग होम से मेड़िकल/अटेंडेंस/उपचार (वाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों) से चिकित्सीय सुविधाओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते है।

1. प्रशासक, निर्मल नर्सिंग होम, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, गेट नं.2 कानपुर रोड़ से स्वयं एवं अपने पारिवारिक आश्रितों की मेडिकल अटेंडेंस/उपचार की सुविधा (वाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के संबंध में) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय–पत्र को अस्पताल की संबंधित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात् प्राप्त कर सकते हैं।
2. इस संस्थान के पेंशनर्स संस्थान के अंशकालिक डॉक्टर से निर्धारित प्रारूप में रेफर होने की स्थिति में परिषद के नियमों के अंतर्गत, निर्मल नर्सिंग होम से मेडिकल अटेंडेंस/उपचार प्राप्त कर सकेंगे। रेफर हेतु डी.डी.ओ. (एम.आर.) एक प्रारूप विकसित करेंगे एवं उसकी उपलब्धता अंशकालिक डॉक्टर के कक्ष में सुनिश्चित करायेंगे।
3. संस्थान के स्टाफ/पेंश्नर्स के पारिवारिक आश्रितों को निर्मल नर्सिंग होम से सुविधाएं प्राप्त कराने हेतु संस्थान के स्थापना अनुभाग से अलग से परिचय–पत्र का प्रारूप वांछित दिशा–निर्देशों सहित परिपत्रित किया जायेगा।
4. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी एवं पेंशनर्स तथा उनके पारिवारिक आश्रितों को मेडिकल अटेंडेंस/उपचार इत्यादि की सुविधाएं सी.जी.एच.एस. एवं सी.ए की अनुमोदित दरों पर निर्मल नर्सिंग होम को उपचार के पूर्व भुगतान करने के आधार पर प्राप्त हो सकेंगी जिसकी वापसी का भुगतान उन्हें सी.जी.एच.एस./सी.ए.(एम.एस.) की दरों अथवा वास्तविक व्यय, तीनों में से जो भी कम होगी, की धनराशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जायेगी।
5. आकस्मिक स्थिति में निर्मल नर्सिंग होम द्वारा 24 घंटे चिकित्सीए सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।
6. यदि किसी भी स्टॉफ अथवा उसके पारिवारिक आश्रित को निर्मल नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ता है तो उसकी सूचना संबंधित स्टॉफ द्वारा संस्थान प्रशासन को 24 घंटे के अंदर देनी आवश्यक होगा।

यह परिपत्र समक्ष अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

06/04/21

वरि.प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयध्यक्ष
Sr. Administrative Officer& Head of office

प्रतिलिपिः
Distribution:

1. सभी विभागाध्यक्ष/परियोजना समन्वयक (चारा फसले यूनिट)/वरि. वित्त वं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों के सहा. प्रशा.अकिारीगण/सभीइकाईयों के प्रीाारी अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने विभाग/अनुभाग/इकाई में कार्यरत सभी स्टॉफ को परिपत्रित करने का कष्ट करें।
2. प्रशासक, निर्मल नर्सिंग होम, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, गेट नं.2 कानपुर रोड़ झॉसी–284128 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस संस्थान के मरीजों (स्टॉफ/पेंशनर्स एवं उनके पारिवारिक आश्रितों) के संबंध में अलग से रजिस्टर का रख–रखाव करने का कष्ट करें जिससे इसका रिकार्ड अलग से रखा जा सके।
3. प्रभारी अधिकारी निदेशक कोष्ठ को निदेशक महोदय की सूचनार्थ।
4. श्री के.पी. राव मुख्य तकनीकी अधिकारी को संस्थान की बेवसाइट पर सभी स्टॉफ एवं पेंश्नर्स की सूचनार्थ हेतु।
5. सभी नोटिस बोड्स।
6. संबधित फाईल।